

न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।
मूल वाद संख्या 396/2022 (पुराना नंबर 1028/2021)
केनरा बैंक बनाम मै. साईं एंटरप्राइजेज और अन्य

दिनांक: 27-11-2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित आये

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41 ग वादी कैनरा बैंक द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया था। वादी साक्ष्य का अवसर रिकाल किया जाना आवश्यक है। इसलिए साक्ष्य के अवसर के आदेश को रिकाल करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र के आपत्ति की गयी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 39 ग जो कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय प्रदान करने के लिए वादी बैंक द्वारा दिया गया था, उसपर सुनवाई करते हुए उसको दिनांक 03-09-2025 को निरस्त कर दिया गया। आज पुनः प्रार्थना पत्र 41 ग वादी बैंक द्वारा इसी आधार पर दिया गया जो कि पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र 41 ग पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 22-12-2025 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, मेरठ।